

## सीनियर डीएसओ के कार्य

सीनियर डीएसओ मंडल स्तर पर शाखा अधिकारी (बीओ) हैं।

- १- डीआरएम को दुर्घटनाओं की सूचना देना।
- २- दुर्घटना के आंकड़ों का संकलन और दुर्घटनाओं की प्रवृत्तियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा और अन्य विभागों के साथ समन्वय में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- ३- गंभीर दुर्घटना की जांच करने में सीआरएस की सहायता करना और दुर्घटना पूछताछ की निगरानी करना और दुर्घटना पूछताछ से संबद्ध करना।
- ४- दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले डी एंड एआर मामलों की निगरानी और विसंगति, अपीलीय और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा दंड की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए उनकी समीक्षा।
- ५- सीआरएस और विभिन्न संरक्षा संबंधी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- ६- सीआरएस और विभिन्न संरक्षा संबंधी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- ७- संरक्षा से संबंधित मामलों में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सभी निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- ८- विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए गए संरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में कमियों के बारे में डीआरएम को अवगत कराते हुए रखरखाव और परिचालन अभ्यास के सुरक्षित संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ संपर्क बनाए रखें।
- ९- ट्रैक मशीन, लोको शेड, सी एंड डब्ल्यू डिपो, पॉइंट और क्रॉसिंग मोटर, ट्रॉली निरीक्षण, एंबुश चेक, स्टेशन निरीक्षण, ब्रेकवन आदि के निरीक्षण सहित डिवीजन पर परिचालन और रखरखाव मशीनरी के कामकाज की संरक्षा सुपर जांच। कोचिंग की सुपर चेक और मालगाड़ियाँ, रात्रि निरीक्षण, सिविल के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करना।
- १०- समपारों पर संरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय।
- ११- संरक्षा परिपत्रों, पोस्टरों, बुलेटिनो आदि को तैयार करना और उनका प्रसार करना।
- १२- मंडल में प्रचलित संरक्षा वातावरण पर आधारित संरक्षा अभियान चलाना।
- १३- रखरखाव और संचालन में शामिल कर्मचारियों की नियमित परामर्श और निगरानी।
- १४- सिग्नल देखने वाली समिति का नामांकन और दर्ज की गई कमियों का सुधार सुनिश्चित करना।
- १५- चालक दल और गार्ड बुकिंग लॉबी, रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग रूम में सुधार का समन्वय।
- १६- विभिन्न विषयों की विभिन्न नियमावलियों से संबंधित सुझाव।
- १७- सभी विषयों के संरक्षा सलाहकारों के कामकाज की निगरानी।
- १८- एचओईआर की जांच, संरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियों को सामने लाना।
- १९- रेलगाड़ी संचालन में संरक्षा एवं परिचालन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर प्रभाव डालने वाले नये कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में सुझाव देना।
- २०- आपदा प्रबंधन कार्यों, राहत और बहाली आदि के संबंध में समन्वय। संभागीय आपदा

प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की तैयारी।

- २१- कारपोरेट संरक्षा योजना का कार्यान्वयन और संभागीय संरक्षा कार्य योजना का अनुवर्तन।
- २२- मद्यपान पर अंकुश लगाने के लिए ब्रेथ एनालाइजर अनुप्रयोगों का पालन करना और निवारक उपायों को अपनाना।
- २३- यह सुनिश्चित करना कि दुर्घटना जांच से संबंधित सभी सुराग संरक्षित हैं।
- २४- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रासंगिक उपाय संयुक्त रूप से दर्ज किए गए हैं।
- २५- डीआरएम द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

## डीएसओ के कर्तव्य

- १- सीनियर डीएसओ को दुर्घटनाओं की सूचना देना।
- २- दुर्घटना के आंकड़ों का संकलन और दुर्घटनाओं की प्रवृत्तियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा और अन्य विभागों के साथ समन्वय में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- ३- दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले डी एंड एआर मामलों की निगरानी और विसंगति, अपीलीय और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा दंड की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए उनकी समीक्षा।
- ४- ट्रैक मशीन, लोको शेड, सी एंड डब्ल्यू डिपो, प्वाइंट और क्रॉसिंग मोटर, ट्रॉली निरीक्षण, घात जांच, स्टेशन निरीक्षण, ब्रेकवन आदि के निरीक्षण सहित डिवीजन पर परिचालन और रखरखाव मशीनरी के कामकाज की संरक्षा सुपर जांच और मालगाड़ियाँ, रात्रि निरीक्षण, सिविल के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करना।
- ५- समपारों पर संरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय।
- ६- संरक्षा परिपत्र, पोस्टर, बुलेटिन आदि तैयार करना और उनका परिचालन करना।
- ७- मंडल में प्रचलित संरक्षा वातावरण पर आधारित संरक्षा अभियान चलाना।
- ८- रखरखाव और संचालन में शामिल कर्मचारियों की नियमित परामर्श और निगरानी
- ९- दर्ज की गई कमियों का सुधार सुनिश्चित करना।
- १०- सभी विषयों के संरक्षा सलाहकारों के कामकाज की निगरानी।
- ११- एचओईआर की जांच, संरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियों को सामने लाना।
- १२- संभागीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन।
- १३- मद्यपान पर अंकुश लगाने के लिए ब्रेथ एनालाइजर अनुप्रयोगों का पालन करना और निवारक उपायों को अपनाना।
- १४- यह सुनिश्चित करना कि दुर्घटना की जांच से संबंधित सभी सुराग संरक्षित हैं।
- १५- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रासंगिक उपाय संयुक्त रूप से दर्ज किए गए हैं।
- १६- सीनियर डीएसओ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।